न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 139 / 2018	05–07–2018	20–12–2018

1–वन्दना शर्मा पत्नी अमित कुमार शर्मा निवासी ग्राम गोठ पोस्ट सुरेर तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0

–अपीलान्ट

बनाम

1–बाल विकास परियोजना अधिकारी राजगढ़ जिला अलवर राज0
2–उप–निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर राज0
3–श्रीमति ललता शर्मा पत्नी श्री नवनीत कुमार शर्मा निवासी ग्राम गोठ पोस्ट सुरेर तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0

–रेस्पाडेन्ट्स

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 22.09.2017
बाल विकास परियोजना अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

—:: निर्णय ::—

अपीलान्टा ने यह अपील रैस्पॉडेन्ट नम्बर 1 लगा0 3 के विरूद्व रैस्पो0 3 का गलत तरीके से चयन होने बाबत तथा अपीलान्टा का चयन नही करने बाबत पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

अपीलान्टा ने अपनी अपील में निवेदन किया है, ग्राम गोठ के आंगनबाडी केन्द्र हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर द्वारा दिनांक 02.01.2017 की विज्ञप्ति जारी कर कार्यकर्ता के रिक्त पद हेतु आवेदन चाहे गये थे। मेरे द्वारा दिनांक 09.01.2017 को आवेदन दो प्रतियों में हस्तलिखित बाल विकास परियोजना अधिकारी राजगढ में जमा करवाये गये थे। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 17.01.2017 थी। दिनांक 25.01.2017 को मेरे द्वारा जानकारी करने पर यह बताया गया था कि उक्त पद हेतु एक ही आवेदन जो मेरा था प्राप्त हुआ है लेकिन दिनांक 05.05.2017 को आयोजित ग्राम सभा में बाल विकास परियोजना अधिकारी राजगढ़ से दो आवेदन पत्र महिला पर्यवेक्षक ले जाये गये। ग्रम सभा द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 09.11.2016 के अनुसार दूसरा आवेदन पत्र श्रीमति ललता देवी पत्नी नवनीत कुमार का था। उसमें राशन कार्ड पर शौचालय की सील नहीं होने के कारण, आवेदन पत्र जमा कराने की दिनांक अंकित नहीं होने के कारण, चयन मूल्यांकन की दिनांक अंकित नहीं होने के कारण व आवेदन फोटोप्रति होने के कारण व सम्पूर्ण दस्तावेजों की स्वःप्रमाणित फोटोप्रति होने के कारण ग्राम सभा द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया गया। लेकिन मेरे अतिरिक्त जो दूसरा आवेदन श्रीमति ललता देवी पत्नी नवनीत कुमार का बाल विकास परियोजना अधिकारी राजगढ़ के द्वारा अंतिम दिनांक 17.01.2017 के बाद लिया गया था। के ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन नहीं करने के कारण महिला पर्यवेक्षक नाराज होकर बिना हस्ताक्षर किये ग्राम सभा से चली गयी। श्रीमति ललता देवी का आवेदन अतिम दिनांक 17.01.2017 के बाद

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र
अलवर (राज0)

कार्यालय में लिया गया इसका प्रमाण यह है कि मेरे मूल्यांकन प्रपत्र पर महिला पर्यवेक्षक के द्वारा दिनांक 24.01.2017 अंकित की है, जबकि श्रीमति ललता देवी के आवेदन पत्र पर जो कि ग्राम सभा में भिजवाया गया था। उसके मूल्यांकन प्रपत्र पर दिनांक अंकित नहीं है तथा महिला एवं बाल विकास कार्यालय राजगढ में रखी हुई आवेदन प्रति पर दिनांक 04.05.2017 अंकित है। इससे यह स्पष्ट है कि आवेदन अंतिम तिथि 17.01.2017 के बाद तथा दिनांक 24.01.2017 के बाद लिया गया है तथा वन्दना शर्मा (मेरा) महिला बाल विकास विभाग राजगढ में रखे हुए आवेदन के चयन मूल्यांकन पर दिनांक 24.01.2017 के नीचे दिनांक 05.05.2017 अंकित की गई है। जांच के विषय निम्न प्रकार है:— 1. आवेदन जमा रजिस्टर में आवेदन प्राप्त की दिनांक अंकित नहीं है। 2. रजिस्टर के पेज पर बाल विकास परियोजना अधिकारी राजगढ़ द्वारा दिनांक 17.01.2017 को रजिस्टर बंद कर हस्ताक्षर व दिनांक अंकित नहीं किये है। 3. रजिस्टर पर गुडुराम सैनी के हस्ताक्षर है तथा दिनांक अंकित नहीं है। गुडुराम सैनी को प्लेसमेंट एजेन्सी के जरिये अस्थाई रूप से लगाया गया है। ताकि उससे फर्जीवाड़ा करवा सके। गुडुराम सैनी को 02.01.2017 को विभाग ने लगाया था। जबकि कार्यालय में 2 वरिष्ट लिपिक व 1 क0लि0 कार्यरत है। गुडुराम सैनी श्रीमति ललता देवी के घर पर गया और मिलीभगत कर अपूर्ण आवेदन प्राप्त किया गया व दिनांक 17.01.2017 के बाद जमा करवाया गया है। यह आवेदन का अवलोकन करने पर स्वंय ही सिद्ध हो जावेगा। 4. बाल विकास परियोजना अधिकारी राजगढ़ में दिनांक 04.05.2017 को चयन किये गये प्रपत्र क्रमांक 101 पर बाल विकास परियोजना अधिकारी राजगढ़ के फोटोप्रति हस्ताक्षर है। इससे यह सिद्ध होता है कि दिनांक 04.05.2017 की बाल विकास परियोजना अधिकारी राजगढ़ अनुपस्थित थे व कर्मचारियों के द्वारा ही चयन किया गया था। मेरे मूल्यांकन प्रपत्र पर महिला पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 24.01.2017 अंकित की है जबकि श्रीमति ललता देवी का आवेदन जो की ग्राम सभा में भिजवाया गया उसमें चयन मूल्यांकन पर दिनांक अंकित नहीं है तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी राजगढ़ में रखी हुई ललता देवी के आवेदन पत्र की प्रति पर दिनांक 04.05.2017 अंकित है। इससे स्पष्ट है कि आवेदन अंतिम तिथि के बाद लिया गया है तथा मेरे आवेदन पत्र जो कार्यालय में रखा हुआ है पर भी दिनांक 24.01.2017 के नीचे दिनांक 04.05.2017 अंकित की हुई है। ललता देवी पत्नी नवनीत ने राशन कार्ड भी दो बना रखे है। अतः निवेदन है कि उक्त आवेदनों की जांच कर मेरे आवेदन को प्राथमिकता देते हुए मेरा चयन कराने की कृपा करें।

रैस्पॉडेन्ट नं0 1 बाल विकास परियोजना अधिकारी राजगढ़ द्वारा अपील के संबंध में निवेदन किया कि अपीलकर्ता वन्दना शर्मा पत्नी श्री अमित कुमार शर्मा द्वारा चयन में धांधली एवं पुनः जांच के कम आपको प्रेषित पत्र की शिकायत के संबंध में निवेदन है कि माह जनवरी 2017 में उप–निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर द्वारा जारी विज्ञप्ति में आंगनबाडी गोठ के कार्यकर्ता के चयन हेतु दो प्रार्थना–पत्र हुए। श्रीमति वन्दना शर्मा का आवेदन पत्र दिनांक 09.01.2017 को एवं श्रीमति ललता शर्मा का आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2017 को प्राप्त हुआ। जिनको माह जनवरी 2017 में ही रजिस्टर में इन्द्राज कर लिया गया। इस कार्यालय के पत्रांक 1033 दिनांक 09.01.2017 द्वारा ग्राम सभा आयोजन हेतु विकास अधिकारी राजगढ़ को लिखा गया। परन्तु उनके द्वारा मूल पत्र लोटाकर लिख गया कि समयावधि कम होने के कारण चयन किया जाना सम्भव नहीं है। माह अप्रैल 2017 में पुनः दिनांक 18.04.2017 को रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी करने पर पुनः इस कार्यालय के पत्र दिनांक 20.04.2017 के द्वारा लिखे जाने पर पंचायत समिति द्वारा दिनांक 05.05.2017 द्वारा ग्राम सभा की सूचना मिलने पर दिनांक 04.05.2017 को महिला पर्यवेक्षक को कार्यालय में बुलाकर आवेदन पत्रों की जांच एवं ग्रेडिंग करवाई गई। आंगनबाडी केन्द्र गोठ हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में शैक्षणिक योग्यता निम्न प्रकार थी:— 1.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

श्रीमति वन्दना शर्मा जन्म तिथि 17.07.1991, एम.ए.(सामान्य) ग्रेडिंग में प्राप्त अंक 04, 2. श्रीमति ललता शर्मा जन्म तिथि 15.12.1988 एम.ए.(सामान्य) ग्रेडिंग में प्राप्त अंक 04, इन दोनों की योग्यता बराबर होने के कारण विभाग के परिपत्र संख्या 150819 दिनांक 09.11. 2016 के बिन्दू संख्या 1(5) के अनुसार दो या दो से अधिक आवेदकों के समान अंक होने की स्थिति में अधिकतम आयु वाली महिला को वरियता सूची में उच्च स्थान दिये जाने का प्रावधान के अनुसार श्रीमति ललता देवी जिनकी आयु अधिक थी। का चयन कर दिनांक 05.05.2017 की ग्राम सभा में अनुमोदन हेतु ग्राम पंचायत सुरेर में भिजवाया गया था। परन्तु ग्राम पंचायत सुरेर में ग्राम सभा कोरम के अभाव में निरस्त होने के कारण ग्राम पंचायत सुरेर द्वारा पत्रांक 46 दिनांक 05.05.2017 द्वारा ग्राम सभा निरस्त होने की सूचना देकर उक्त चयन के पत्रांक वापस इस कार्यालय लौटा दिये गये। इस कम में इस कार्यालय के पत्रांक 160 दिनांक 23.05.2017 द्वारा उप–निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर से मार्गदर्शन चाहा गया। विभाग परिपत्र के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा 02 माह की समयावधि ग्राम सभा द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो उक्त चयन श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित ब्लॉक स्तरीय निगरानी समिति के माध्यम से चयन प्रकिया पूर्ण कराये जाने का प्रावधान है के अन्तर्गत दिनांक 22.09.2017 को उक्त चयन का अनुमोदन कराया गया। निगरानी समिति द्वारा श्रीमति ललता शर्मा का चयन अनुमोदन किया गया। श्रीमति ललता शर्मा को चयन आदेश जारी किए जा चुके है। प्रार्थी द्वारा जो राशनकार्ड का मुद्दा उठाया गया था जिसमें निगरानी समिति द्वारा श्रीमति ललता शर्मा के पति के राशनकार्ड एवं विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर ग्राम गोठ का ही निवासी माना गया। अतः चयन विभागीय नियमानुसार किया गया। श्रीमति वन्दना शर्मा द्वारा उक्त चयन के विरूद्ध उप–निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर के यहां प्रथम अपील दायर की थी जिसे उप–निदेशक द्वारा खारिज कर दिया गया तथा चयन समिति द्वारा किया गया निर्णय सही माना गया। उक्त शिकायत के संबंध में अन्य बिन्दूओं पर तत्थात्मक रिपोर्ट इस प्रकार बतायी गई है। 01. आवेदन जमा रजिस्टर में आवेदन प्राप्ति की दिनांक सहवन से अंकित नहीं हो पाई, परन्तु आवेदको फॉर्म प्राप्ति की रसीद में दिनांक अंकित की गयी थी। 02. श्री गुड्डुराम सैनी प्लेसमेंट एजेन्सी के माध्यम से इस कार्यालय में कार्यरत थे। उनके द्वारा प्राप्त आवेदनों को रजिस्टर में इन्द्राज का कार्य संपादित करवाया गया था। प्राप्त आवेदनों के इन्द्राज में किसी भी प्रकार की त्रुटि/फर्जीवाडा नहीं किया गया है। 03. श्री गुड्डुराम सैनी के श्रीमति ललता देवी के घर पर जाना एवं मिलिभगत की कोई जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं है। उनका गांव एक ही दिशा में होने के कारण ये प्रार्थी की स्वंय की गलग धारणा है। 04. बाल विकास परियोजना अधिकारी राजगढ का अतिरिक्त चार्ज बाल विकास परियोजना अधिकारी तिजारा के पास होने के कारण 01 दिन पूर्व अधिकारी के हस्ताक्षर करवाये गये थे जो दिनांक 05.05.2017 को कार्यालय के जावक रजिस्टर में इन्द्राज किये गये। जिनकी प्रतियां कम होने के कारण फोटो प्रतियां करवायी गयी थी। 05. श्रीमति ललता देवी के मूल्यांकन प्रपत्र पर महिला पर्यवेक्षक द्वारा सहवन से दिनांक अंकित नहीं हो पायी थी। 06. श्रीमति ललता शर्मा के राशनकार्ड को ससूर के राशनकार्ड से हटवाकर पति का अलग राशनकार्ड बनवाने का मुद्दा उठाया जा रहा है। उक्त प्रकरण दिनांक 22.09.2017 को ब्लॉक निगरानी समिति में भी था जिसमें ललता शर्मा को ग्राम गोठ का निवासी माना गया। अतः ब्लॉक स्तरीय निगरानी समिति द्वारा जो चयन किया गया वो विभागीय नियमानुसार सही है। रैस्पो0 संख्या 2 के द्वारा निवेदन किया है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी राजगढ ने अपने पत्रांक 769 दिनांक 05.12.2017 द्वारा कराया गया है कि ग्राम पंवायत सुरेर के ग्राम गोठ में कार्यकर्ता चयन हेतु दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए है। दोनों के समान अंक होने के कारण विभाग परिपत्र दिनांक 9.11.2016 के बिन्दू संख्या 1(5) के अनुसार दो

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

या दो से अधिक आवेदकों के समान अंक होने की स्थिति में अधिकतम आयु वाली महिला को वरियता प्राप्त होने पर श्रीमति ललता शर्मा का चयन कर दिनांक 05.05.2017 की ग्राम सभा में अनुमोदन हेतु प्रकरण ग्राम पंचायत सुरेर में भिजवाये गये। ग्राम पंचायत सुरेर द्वारा ग्राम सभा कोरम के अभाव में निरस्त कर प्रकरण वापस बाल विकास परियोजना अधिकारी राजगढ को भिजवा दिये गए। श्रीमति ललता देवी के राशनकार्ड का प्रकरण दिनांक 22.09. 2017 को चयन समिति की बैठक में आया था। उस समय श्रीमति ललता देवी शर्मा को ग्राम गोठ निवासी मानते हुए परिपत्र दिनांक 09.11.2016 के अनुसार चयन किया गया। श्रीमति ललता शर्मा के चयन आदेश भी जारी किये जा चुके है। अतः ब्लॉक स्तरीय निगरानी समिति द्वारा किया गया चयन सही है।

रैस्पो0 संख्या 3 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि "मेरा आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर चयन होने के पश्चात् वन्दना शर्मा द्वारा मेरे चयन का विरोध किया जा रहा है। श्रीमति वन्दना देवी व उसके परिवार के सदस्य हमेशा खुदके चयन की इच्छा रखते हैं। खुद का चयन नहीं होने पर शिकायत करते है। मेरे द्वारा आवेदन दिनांक 16.01. 2017 को जमा करवाया गया था। उक्त चयन के संबंध में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण सुनवाई की गई थी। जिसमें हम दोनों पक्षकारों को बुलवाया गया था। सभी अधिकारियों ने सुनवाई पूर्ण कर श्रीमति वन्दना देवी को संतुष्ट कर ललता देवी का चयन का निर्णय लिया गया। महिला पर्यवेक्षक द्वारा सचिव व ग्राम सभा प्रभारी द्वारा यह कहते हुए पत्र पर नोट लगा दिया गया कि कोरम के अभाव में ग्राम सभा निरस्त की जाती है व पत्र को लौटा दिया गया जिसमें शिकायत की गयी है कि महिला पर्यवेक्षक नाराज होकर चली गई, जबकि वह ग्राम पंचायत द्वारा अंकित टिप्पणी लेकर कार्यालय गई थी। शिकायत कर्ता के ससूर श्री कृष्ण अवतार शर्मा पुत्र श्री रामअवतार शर्मा ने खुद फर्जीवाडा कर अपने पिता जो पुलिस से रिटायर्ड कर्मचारी है, के राशनकार्ड से नाम हटवाकर अपना अलग राशनकार्ड बनवाया है। जिसमें पुत्रवधु वन्दना/अमित कुमार का नाम है। एक रिटायर्ड पुलिस कर्मी का बेटा खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहा है जो नाजायज है। अतः वन्दना पत्नी अमित कुमार का राशनकार्ड निरस्त कर उनके दादा श्री रामावतार शर्मा के राशन कार्ड में जोडा जावे व खाद्य सुरक्षा के लाभ को बंद किया जावें। विकास अधिकारी के चयन समिति द्वारा चयन व हस्ताक्षर मौजूद है। फिर भी कनिष्ट सहायक द्वारा दोनों राशनकार्ड निरस्त कर दिये तथा स्वंय के हस्ताक्षर कर राशनकार्ड निरस्त करने का प्रमाण–पत्र जारी कर दिया। शिकायतकर्ता द्वारा लिखा गया है कि दिनांक 25.01.2017 को बाल विकास कार्यालय अलवर में आवेदन पत्रों की जानकारी लेने पर केवल एक ही आवेदन पत्र वन्दना शर्मा का था। उक्त संबंध में उन्होंने किसी कर्मचारी या अधिकारी से जो जानकारी ली उसका नाम नहीं बताया है। अगर नाम बताती तो सच्चाई सामने आती है। अतः यह आरोप निराधार है। अपीलार्थी द्वारा राशन कार्ड पर शौचालय की सील नहीं होने का आरोप लगाया है वह मैंने उसी समय रू. 50/– के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र पेश कर शौचालय की फोटो प्रेषित कर दी थी। मैंने दिनांक 16.01.2017 को ही साय करीब 5 बजे फॉर्म लेकर गयी। फॉर्म के उपर कार्यालय द्वारा जमा तारीख 16.01.2017 अंकित की है। मेरे पति नवनीत कुमार शर्मा द्वारा दिनेश गुरू ई–मित्र पर दोनों पति–पत्नी के नाम से राशनकार्ड बनवाये थे। उसने भूलवश मेरे पति का ही राशनकार्ड बना दिया। उससे जब शिकायत की गयी कि अकेले का ही राशनकार्ड क्यों बनाया दोनों पति–पत्नी का क्यों नहीं बनाया तो वह बोला कि दूसरा बनवा देता हुं और उसने दूसरा राशनकार्ड हम दोनों पति–पत्नी का बनवा दिया परन्तु उसने भूलवश पहला राशनकार्ड जो सिर्फ मेरे पति का था उसको निरस्त नहीं किया। यह भूल ई–मित्र से हुई है। मैं शपथपत्र पेश कर श्रीमान् निवेदन कर रही हुं कि हम पति–पत्नी दोनों ने पहले बने राशनकार्ड का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया है।"

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलार्थी/प्रार्थी ने मुख्य आरोप यह लगाया है कि अप्रार्थी ललता देवी पत्नि नवनीत कुमार का आवेदन पत्र अंतिम तिथि निकलने के बाद लिया गया है। बालविकास परियोजना अधिकारी राजगढ़ द्वारा प्रेषित रिर्पोटो का अवलोकन किया गया जिसमे प्रत्रांक 227 दिनांक 19.02.2018 को न्यायालय हाजा में भेजी रिपोर्ट में ललता देवी का आवेदन पत्र प्राप्ति दिनांक 19.01.2017 दिखाई गई है जबकि पत्रांक 769 दिनांक 05.12.2017 को उप निदेशक महिला एंव बाल विकास अलवर को भेजी रिपोर्ट में ललता देवी का आवेदन पत्र प्राप्ति की दिनांक 16.01. 2017 दर्शायी गई है। बाल विकास परियोजना अधिकारी राजगढ़ ने अपने पत्रांक 1633 दिनांक 29.08.2018 को इस न्यायालय को प्रेषित रिपोर्ट के प्रथम पैरा की छठी लाईन में आवेदन प्राप्ति 19.01.2017 को टंकित कर फिर पेन से उसे 16.01.2017 किया है। उक्त तीनो रिर्पोटो में भिन्नता है जिससे यह जाहिर होता है बाल विकास परियोजना अधिकारी राजगढ़ द्वारा इसमें अनियमितता बरतने की कार्यवाही कर अब कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति का अवलोकन करने से स्पष्ट है की यदि विज्ञप्ति को जारी होने कि दिनांक 02.01.2017 से 15 दिवस माना जावे तो अंतिम तिथि 17.01.2017 होती है और यदि अखबार में जारी दिनांक 03.01.2017 से 15 दिवस माना जावे तो अंतिम तिथि 18.01.2017 होती है। ललता देवी द्वारा दो राशन कार्ड बनवा रखे है जो उन्होने अपने जवाब में भी स्वीकार किया है। ग्राम पंचायत कि रिपोर्ट क्रमांक 47–48 दिनांक 05.05.2017 को अवलोकन से ही ललता देवी को आवेदन पत्र की फोटो स्टेट होने, राशन कार्ड पर शौचालययुक्त की मोहर नही होने तथा आवेदन पत्र पर जमा दिनांक नही होने के कारण अप्रात्र माना गया था तथा वन्दना शर्मा को चयन हेतु अभिशंषा की गई थी। मुल्यांकन प्रपत्र का अवलोकन करने पर स्पष्ट है की वन्दना शर्मा का मुल्यांकन दिनांक 24.01.2017 को किया गया है जबकि ललता देवी के मुल्यांकन प्रपत्र पर दिनांक 04.05.2017 अंकित है इससे स्पष्ट है कि ललता देवी का आवेदन पत्र अंतिम तिथि निकलने के बाद लिया जाना प्रतीत होता है।

उप निदेशक महिला एंव बाल विकास विभाग अलवर को निर्देशित किया जाता है कि स्वंय के स्तर पर पूरे प्रकरण की गहन जांच करें यदि ललता देवी का आवेदन निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होना पाया जाए तो चयन की कार्यवाही निरस्त की जाकर नये सिरे से चयन संबंधी कार्यवाही करें। उक्त समस्त जांच/कार्यवाही दिनांक 31.01.2019 तक सम्पन्न की जावेगी।

निर्णय आज दिनांक 20–12–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)